--::आदेश::--

भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/24 /2020/एफ0सी0/1504 दिनांक 08.10.2020 के द्वारा विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार–भेटी–जमोलना–पोखार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.898 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसकी शर्त सं0 03(क) में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.792है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम भेटी के सिविल खसरा न0 1,2,3 में क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा।

उक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी घनसाली द्वारा अपने पत्र सं0 63/आर.ए–भूमि हस्ता. (2020–2021) दिनांक घनसाली 27.08.2020 में उल्लेख किया गया है कि विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार–भेटी–जमोलना–पोखार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.896 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के लिये वन भूमि के बदले 7.702है0 सिविल भूमि ग्राम भेटी मध्ये वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने हेतु खसरा न0 01,02,03 चयनित किये गये है। चयनित भूमि ग्राम भेटी की ज0वि0र0 खतौनी खाता सं0 19 में खसरा सं0 01 रकबा 2.910, खसरा सं0 02 कुल रकबा 4.470मे0 2.800है0, खसरा न0 03 रकबा 4.924 मे0 2.082है0 कुल 03 खसरा कुल रकबा–12.304 है0 मध्ये 7.792 है0 भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। तहसील स्तरीय समिति की संयुक्त जांच आख्यानुसार प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं0	अर्जित रकबा (है0)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
भेटी	ग्यारहगांव	19	01 02म. 03म.	2.910है0 2.800है0 2.082है0	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड
				7.792है0	

प्रस्तावित मैगाधार–भेटी–जमोलना–पोखार तक मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–2882/XVIII(II)/11–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या–2365/XVIII(II)/13-18(120)/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी घनसाली के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रकबा 7.792 है0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार घनसाली तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करे।

(ईवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या–555/XI–6(2020–21)दिनांक,नई टिहरी, सितम्बर,21,2021.

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव,वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
6– अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0 घनसाली।
7– उप जिलाधिकारी घनसाली।
8– तहसीलदार घनसाली को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।